



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 13 सितम्बर, 1985

भाद्रपद 22, 1907 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1676 / सत्रह-वि-1-1(क)-33-1985

लखनऊ, 13 सितम्बर, 1985

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विन्की-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985 पर दिनांक 13 सितम्बर, 1985 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाएँ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विन्की-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1985

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1985)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश विन्की-कर ऐक्ट, 1948 और उत्तर प्रदेश विन्की-कर (संशोधन) अधिनियम, 1979 का कतिपय प्रयोजनों के लिए अप्रति संशोधन करने और कतिपय कर्तव्यों और कार्यवाहियों को विधिमाम्य करने और उत्तसे आनुषंगिक या सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विन्की-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1985 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा, सिवाय धारा 4 और 15 के जो ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगी जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा इस निमित्त नियत करे और भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश
एक्ट संख्या 15
सन् 1948 की
धारा 2 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश विन्नी-कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे अगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,—

(1) खण्ड (कक) में, उप-खण्ड (2) में, शब्द “जो ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोद्योग या संस्थान से अनुषंगी हो या उससे संबद्ध हो या उससे आनुषंगिक हो या उसके परिणामस्वरूप हो, खरीदने, बेचने या संभरण करने का कोई संयवहार” के स्थान पर शब्द “खरीदने, बेचने या संभरण करने का कोई संयवहार या किसी भी प्रकार का कोई अन्य संयवहार, जो ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोद्योग या संस्थान से अनुषंगी हो या उससे संबद्ध हो या उससे आनुषंगिक हो या उसके परिणामस्वरूप हो” रख दिये जायेंगे, और 1 अप्रैल, 1982 को रूठे गये समझे जायेंगे :

(2) समष्टीकरण सहित खण्ड (ल) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा और 2 फरवरी, 1982 को रूठे गये समझे जायेंगे, अर्थात् :—

“(ज) “विन्नी” का, उसके व्यापारिक रूप-भेद और सजातीय पदों सहित तात्पर्य ऐसे माल के स्वामित्व के (दायक, वृष्टिदायक, प्रसार या गिरवी से भिन्न रूप में) अन्तरण से है जो नकद रुपये या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान् प्रतिफल के लिए किया जाय, और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(1) नकद रुपये, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान् प्रतिफल के लिए किसी माल के स्वामित्व का, सविदा से अनुसरण से भिन्न रूप में, अन्तरण;

(2) संकर्म संविदा के विधादान में अन्तर्गता माल के स्वामित्व का अन्तरण (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में);

(3) अवक्रय या किस्तों में भुगतान की किसी प्रणाली के आधार पर माल का परिदान करना;

(4) नकद रुपये, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान् प्रतिफल के लिए किसी माल का किसी प्रयोज्यार्थ उपयोग करने के अधिकार का (चाहे वह किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या न हो) अन्तरण;

(5) नकद रुपये, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान् प्रतिफल के लिए किसी अनिर्दिष्ट संघ (एसोसिएशन) या व्यक्तियों के निकाय द्वारा उसके किसी सदस्य को माल का सम्भरण; और

(6) सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रीति से माल का, जो मानव उपयोग के लिए खाद्य या कोई अन्य पदार्थ या कोई पेय हो (चाहे सादक हो या न हो), सम्भरण जहाँ ऐसा सम्भरण या सेवा नकद रुपये, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान् प्रतिफल के लिए हो;”

(3) खण्ड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्,—

“(ड) “संकर्म संविदा” के अन्तर्गत नकद रुपये, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान् प्रतिफल के लिए, किसी जंगल या स्थावर संपत्ति के निर्माण, निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण करने, बनाने, परिनिर्माण करने, लगाने, सज्जीकरण, सुधार, परिष्कार, मरम्मत या मालू बनाने के लिए कोई अनुवन्ध भी है।”

धारा 3—क का
संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3—क में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

“(क) “घोषित माल” के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर, उपभोक्ता को विन्नी के स्थल पर केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 15 में तत्समन्वय विनिर्दिष्ट अधिकतम दर पर या जहाँ राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, कोई अन्य एकल स्थल या कम दर घोषित करे, वहाँ ऐसे अन्य स्थल पर या ऐसी कम दर पर लगाया जायेगा;”

धारा 3—ड का
संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 3—ड में, प्रत्येकदायक खण्ड सहित उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

“(3) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, निर्देश दे सकती है कि अतिरिक्त कर—

(क) प्रत्येक व्यापारी द्वारा बने ही उसके विक्रय-धन का कुल योग कुछ भी हो, या

(ख) प्रत्येक व्यापारी द्वारा जिसके धारा 3 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट विक्रय-धन का कुल योग ऐसी धनराशि से, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाय, अधिक हो, ऐसे दिन क से, ऐसी रीति से और इस अधिनियम के अन्त उपधाराओं के अधीन देय कर पर (दस से अधिक प्रतिशत की) ऐसी दर से, जो विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट की जाय, देय होगा और ऐसे विक्रय-धन की भिन्न-भिन्न धनराशि के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं :

प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी द्वारा देय ऐसे अतिरिक्त कर को गणना करने में—

(1) “घोषित माल” के विक्रय या क्रय,

(2) उस दिनांक के, जब से ऐसा अतिरिक्त कर देय होगा, पूर्व की किसी अवधि के सम्बन्धित अन्य मास के विक्रय या क्रय,

के सम्बन्ध में देय कर पर विचार नहीं किया जायगा।”

5—मूल अधिनियम की धारा 3—इ, के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

नई धारा 3—च का बढ़ाया जाना

“3—च—किसी साल का उपयोग करने के अधिकार पर या संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त साल पर कर की दर—धारा 3—क, या धारा 3—कक, या धारा 3—घ, या धारा 3—छ में किसी बात के होते हुए भी, किसी प्रयोजन के लिए किसी साल का उपयोग करने के अधिकार के अन्तर्ग्राहक या किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त साल के स्थायित्व के अन्तर्ग्राहक के व्यापार से सम्बन्धित विक्रय-धन निर्धारित रीति से अवधारित किया जायगा और उस पर पन्द्रह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार, विज्ञापित द्वारा घोषित करे, कर देय होगा, और भिन्न-भिन्न मास या भिन्न-भिन्न वर्गों के व्यापारियों के लिए भिन्न-भिन्न दरें घोषित की जा सकती हैं।”

6—मूल अधिनियम की धारा 3—छ में,—

धारा 3—छ का संशोधन

(क) उपधारा (2) में, शब्द “बिक्री के लिए” के पश्चात् शब्द “विद्युत ऊर्जा से भिन्न” बढ़ा दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द “यदि उपधारा (1) में” के स्थान पर शब्द “ऐसा विभाग, निगम, उपक्रम या कम्पनी ऐसे व्यापारी को मास क्रय करने के दो मास के भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा-पत्र प्रस्तुत करेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, या यदि उपधारा (1) में” रख दिये जायेंगे।

7—मूल अधिनियम की धारा 4 में, खण्ड (ख) में, शब्द “उनके शाखाओं द्वारा की गयी हो या” के पश्चात् शब्द “ऐसे मास की बिक्री या खरीद पर जो” बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 4—क में,—

धारा 4—क का संशोधन

(क) उपधारा (2) में,—

(एक) खण्ड (ग) में, शब्द “किसी कर निर्धारण वर्ष में” निकाल दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्—

“(घ) केवल उस स्थिति में जब निर्माता कर निर्धारक अधिकारी को ऐसे अधिकारी द्वारा, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विनिर्दिष्ट की जाय, स्वीकृत पात्रता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।”

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

“(3) यदि बिक्री-कर कमिश्नर की यह राय हो कि उपधारा (2) के खण्ड

(घ) में निर्दिष्ट पात्रता के प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का किसी भी रीति से दुरुपयोग किया गया है, तो वह पात्रता के प्रमाण-पत्र को, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे दिनांक से, चाहे वह ऐसे आदेश के दिनांक के पूर्व या पश्चात् हो, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय, रद्द कर सकता है:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश संबद्ध व्यापारी को नवाई का युक्ति-युक्त आवसर दिये बिना नहीं दिया जायगा।”

(ग) स्पष्टीकरण में, खण्ड (1) में, उप-खण्ड (क) में, शब्द “न तो पहले से ही प्रयोग में लाये गये हैं”, और “न ही” के स्थान पर शब्द “पहले से प्रयोग में लाये गये हैं या” रख दिये जायेंगे और 19 जनवरी, 1985 से रखे गये समझे जायेंगे।

9—मूल अधिनियम की धारा 4—ख में,—

धारा 4—ख का संशोधन

(क) उपधारा (2) में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (क) में, शब्द “विज्ञापित मास के बिक्री के लिए निर्माण या पैकिंग में, यथास्थिति, प्रयुक्त सहायक पुर्जों तथा संघटक पुर्जों या कन्टेनरों, या पैक करने का साधन” के स्थान पर शब्द “किसी व्यापारी द्वारा बिक्री के लिए विज्ञापित मास के निर्माण या, यथास्थिति, पैकिंग में प्रयुक्त सहायक पुर्जों और संघटक पुर्जों या कन्टेनरों या पैक करने के साधन, और नई इकाइयों की स्थिति में उनके उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक 1 अक्टूबर, 1982 को या उसके पश्चात् पड़ता हो, ऐसे निर्माण में प्रयोग के लिए अपेक्षित उपभोग्य स्टोर और उप-समुच्चयों को” रख दिये जायेंगे और 29 जनवरी, 1985 से रखे गये समझे जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) में, खण्ड (1) में, उप-खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्—

“(खख) इस अधिनियम के अधीन देय योग्य किसी कर, अर्थ-दण्ड या अन्य देयों का भुगतान, ऐसे कर, अर्थ-दण्ड या अन्य देयों के संदेय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर नहीं किया है; या”।

धारा 8 का
संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(क) उपधारा (1-ख) में, अन्त में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बड़ा दिया जायगा, अर्थात्—

“स्पष्टीकरण—उपधारा (1-क) और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए निर्धारित कर के अन्तर्गत धारा 3-ख के अधीन देय धनराशि भी समझी जायगी।”;

(ख) उपधारा (1-ग) में, शब्द और अंक “उपधारा (1) और (2)” के स्थान पर शब्द और अंक “उपधारा (1), (1-ख) और (2)” रख दिये जायेंगे।

धारा 8-क का
संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 8-क में, उपधारा (1-ख) में, शब्द “अथवा कोई अन्य पर्याप्त कारण है” के स्थान पर शब्द “या उसने कर, अर्थदण्ड या अन्य देयों का भुगतान ऐसे कर, अर्थदण्ड या देयों के संदेय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर नहीं किया है या कोई अन्य पर्याप्त कारण है” रख दिये जायेंगे।

धारा 8-ग का
संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 8-ग में,—

(क) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बड़ा दी जायगी, अर्थात्—

(3-क) उपधारा (2) या उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, बिक्री-कर कमिश्नर, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विज्ञापित किसी माल के संबंध में, सामान्य लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकता है कि किसी ऐसे व्यापारी या व्यक्ति से, जिसे इस अधिनियम के अधीन निर्धारित किसी रूप-पत्र की आवश्यकता हो, उतनी धनराशि की नकद प्रतिभूति, जितनी ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, देने की अपेक्षा की जायगी।”;

(ख) उपधारा (4) में, जहां-जहां भी शब्द “व्यापारी” आया हो, उसके पश्चात् शब्द “या संबद्ध व्यक्ति” बड़ा दिये जायेंगे, और शब्द “प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने वाले” के पश्चात् शब्द “या उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट रूप-पत्र जारी करने वाले” बड़ा दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (5), (6) और (8) में, जहां-जहां भी शब्द “व्यापारी” आया हो, उसके पश्चात् शब्द “या संबद्ध व्यक्ति” बड़ा दिये जायेंगे; और

(घ) उपधारा (7) में, शब्द और अंक “उपधारा (2)” के पश्चात् शब्द और अंक “या उपधारा (3-क)” बड़ा दिये जायेंगे।

धारा 10 का
संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) उपधारा (2) में, शब्द और अंक “धारा 10-ख के अधीन दिये गये आदेश से” के पश्चात् शब्द और अंक “या बिक्री-कर कमिश्नर द्वारा धारा 4-क की उपधारा (3) के अधीन दिये गये आदेश से” बड़ा दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (10) में, खण्ड (ग) में, शब्द और अंक “धारा 35 के अधीन दिये गये किसी आदेश” के स्थान पर शब्द और अंक “धारा 4-क की उपधारा (3) के अधीन दिये गये किसी आदेश या धारा 35 के अधीन किये गये किसी विनिश्चय” रख दिये जायेंगे।

धारा 29 का
संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (2) में, शब्द “ऐसे आदेश के दिनांक से” के स्थान पर शब्द “यथास्थिति, ऐसे आदेश के दिनांक से या वापसी के ऐसे आदेश की कर निर्धारक अधिकारी द्वारा प्राप्त के दिनांक से” रख दिये जायेंगे।

अनुसूची
का संशोधन

15—मूल अधिनियम की अनुसूची में,—

(क) क्रम संख्या 6 और 26 की प्रविष्टियों के पश्चात् क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां स्तम्भवार बड़ा दी जायेंगी, अर्थात्—

स्तम्भ 1 में	स्तम्भ 2 में
(क्रम-संख्या)	(माल का विवरण)
“6-क	पीतल के कलात्मक पात्र और पीतल, कांसा, फूल या जरमन सिलवर के बर्तन, और उनके भाग”
“26-क	मेवा”

(ख) क्रम संख्या 44 के सामने की प्रविष्टि निकाल दी जायगी।

16—(1) सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0 4064 / दस-960-(4)-58, दिनांक 25 नवम्बर, 1958 में, सूची की मद 3 में, शब्द "सिले हुए वस्त्र (रेडीमेड गारमेन्ट्स)" के स्थान पर शब्द "सिले-सिलाने परिधान, हैसियन या जूट कलाथ" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

विज्ञप्ति का संशोधन

(2) उपधारा (1) द्वारा यथासंशोधित विज्ञप्ति तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21 के साथ पठित मूल अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन अधिकार का प्रयोग करके संशोधित या विखण्डित न कर दी जाय।

17—(1) किसी न्यायालय या अन्य अधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व कृत कोई कार्य या कार्यवाही, जो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हो, विधिमान्य और विधिपूर्ण होगी और सदैव से विधिमान्य और विधिपूर्ण रही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

वैधीकरण

(2) जहां इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व किसी न्यायालय या अधिकारी ने किसी कार्यवाही में मूल अधिनियम के अधीन किसी कर का निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रह किया हो या अर्थ-दण्ड लगाने या किसी अन्य मांग का कोई आदेश दिया हो, या ऐसे कर निर्धारण, उद्ग्रहण, संग्रह, अर्थ-दण्ड या मांग को (पूर्णतः या अंशतः) परिष्कृत, अपास्त या अभिखण्डित करने का कोई आदेश दिया हो और ऐसा कर-निर्धारण या अन्य आदेश, इस अधिनियम के उपबन्धों के परिणाम स्वरूप, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो जाय, वहां उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कार्यवाही का कोई पक्ष या बिक्री-कर कमिश्नर, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से छः मास के भीतर कर-निर्धारण या आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए ऐसे न्यायालय या अधिकारी को प्रार्थना-पत्र दे सकता है और तदुपरान्त ऐसा न्यायालय या अधिकारी कार्यवाही का पुनर्विलोकन कर सकता है और पहले दिये गये आदेश में परिवर्तन या उसका पुनरीक्षण करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जैसा इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो।

(3) यथास्थिति, कर निर्धारक, अपील सुनने वाला या पुनरीक्षण अधिकारी अपने द्वारा दिये गये किसी आदेश में, इस धारा के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के भीतर या मूल अधिनियम की धारा 22 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो भी बाद में समाप्त हो, सुधार कर सकता है, जहां ऐसा सुधार इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधन के परिणामस्वरूप आवश्यक हो गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार, जिसका प्रभाव निर्धारित कर, अर्थ-दण्ड या अन्य दायों को बढ़ाना होगा, तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि संबद्ध अधिकारी ने ऐसा करने के अपने अभिप्राय की सूचना संबद्ध व्यापारी या व्यक्ति को न दे दी हो और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो।

18—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 6 में, उपधारा (1) में, शब्द "छः वर्ष" के स्थान पर शब्द "सात वर्ष" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1979 की धारा 6 का संशोधन

श्रीज्ञा से,
शिवाधार तिवारी,
विशेष सचिव।

No. 1676(2)/XVII-V—1-1(KA)-33-1985

Dated Lucknow, September 13, 1985

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bikri-Kar (Sanshodhan Aur Vaidhikaran) Adhiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 13, 1985.

**THE UTTAR PRADESH SALES TAX (AMENDMENT AND
VALIDATION) ACT, 1985**

[U. P. ACT NO. 25 OF 1985]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sales Tax Act, 1948 and the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) Act, 1979 for certain purposes and to validate certain acts and proceedings and provide for matters incidental thereto or connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1985.

(2) It shall come into force at once except sections 4 and 15 which shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf and different dates may be appointed for different provisions.

Amendment of Section 2 of U. P. Act no. XV of 1948

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Sales Tax Act, 1948 hereinafter referred to as the principal Act,—

(1) in clause (aa), in sub-clause (ii), after the words “any waste, or scrap or any of them”; the words “or any other transaction whatsoever” shall be inserted and be deemed to have been inserted on April 1, 1982;

(2) for clause (h) including the Explanation, the following clause shall be substituted and shall be deemed to have been substituted on February 2, 1983, namely :

“(h) ‘sale’, with its grammatical variations and cognate expressions, means any transfer of property in goods (otherwise than by way of a mortgage, hypothecation, charge or pledge) for cash or deferred payment or other valuable consideration, and includes—

(i) a transfer, otherwise than in pursuance of a contract, of property in any goods for cash, deferred payment or other valuable consideration ;

(ii) a transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract;

(iii) the delivery of goods on hire purchase or any system of payment by instalments;

(iv) a transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration;

(v) the supply of goods by any unincorporated association or body of persons to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration; and

(vi) the supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink (whether or not intoxicating) where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration;”

(3) after clause (l), the following clause shall be inserted, namely :—

“(m) ‘works contract’ includes any agreement for carrying out, for cash, deferred payment or other valuable consideration, the building, construction, manufacture, processing, fabrication, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair or commissioning of any movable or immovable property.”

3. In section 3-A of the principal Act, in sub-section (1), *for* clause (a), the following clause shall be *substituted*, namely :—
- “(a) on the turnover in respect of ‘declared goods’, at the point of sale to the consumer at the maximum rate for the time being specified in section 15 of the Central Sales Tax Act, 1956 or where the State Government, by notification, declares any other single point or a lesser rate, at such other point or at such lesser rate;”
- Amendment of section 3-A
4. In section 3-E of the principal Act, *after* sub-section (2) including proviso thereto, the following sub-section shall be *inserted*, namely :—
- Amendment of section 3-E
- “(3) Notwithstanding anything contained in the preceding sub-sections, the State Government may, by notification, direct that the additional tax shall be payable with effect from such date, in such manner and at such rate (not exceeding ten per cent) on the tax payable under the other provisions of this Act as may be specified in the notification—
- (a) by every dealer irrespective of the aggregate of his turnover, or
- (b) by every dealer the aggregate of whose turn-over as referred to in sub-section (2) of section 3 exceeds such amount as may be specified in the notification ;
- and different rates may be specified in relation to different amounts of such turnover :
- Provided that in calculating such additional tax payable by the dealer, there shall not be taken into consideration the tax payable in respect of—
- (i) the sales or purchases of ‘declared goods’,
- (ii) the sales or purchases of other goods relating to any period prior to the date with effect from which such additional tax shall be payable.”
5. *After* section 3-E of the principal Act, the following section 3-F shall be *inserted*, namely :—
- Insertion of new section 3-F
- “3-F. *Rate of tax on the right to use any goods or goods involved in the execution of a works contract*—Notwithstanding anything contained in section 3-A, or section 3-AAA, or section 3-D, or section 3-G, the turn over relating to the business of transfer of the right to use any goods for any purpose or of transfer of the property in goods involved in the execution of a works contract shall be determined in the manner prescribed and shall be liable to tax at such rate, not exceeding fifteen per cent, as the State Government may, by notification, declare, and different rates may be declared for different goods or different classes of dealers.”
6. In section 3-G of the principal Act,—
- Amendment of section 3-G
- (a) in sub-section (2), *after* the words “packing of any goods”, the words “other than electrical energy” shall be *inserted*;
- (b) in sub-section (3), *for* the words “If, after purchasing goods”, the words “Such department, Corporation, Undertaking or Company shall furnish to such dealer the declaration referred to in sub-section (1) within two months of the purchase of goods, and if it fails to do so, or if, after purchasing the goods” shall be *substituted*.
7. In section 4 of the principal Act, in clause (b), *after* the words “their branches, or”, the words “the sale or purchase of such goods” shall be *inserted*.
- Amendment of section 4
8. In section 4-A of the principal Act,—
- Amendment of section 4-A
- (a) in sub-section (2),—
- (i) in clause (c), the words “in any assessment year” shall be *omitted*;

(ii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely :—

“(d) only if the manufacturer furnishes to the assessing authority an Eligibility Certificate granted by such Officer, in accordance with such procedure, as may be specified.”

(b) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely :—

“(3) Where the Commissioner of Sales Tax is of the opinion that facility of exemption from, or reduction in the rate of, tax obtained on the basis of an Eligibility Certificate referred to in clause (d) of sub-section (2) has been misused in any manner whatsoever, he may, by order in writing, cancel the Eligibility Certificate from such date, whether before or after the date of such order, as may be specified therein :

Provided that no order under this sub-section shall be passed without giving the dealer concerned a reasonable opportunity of being heard.”

(c) in the Explanation, in clause (i), in sub-clause (a), in the Hindi version, for the words “न तो पहले से ही प्रयोग में लाए गए हों और न ही”, the words “पहले से प्रयोग में लाए गए हों या” shall be substituted and be deemed to have been substituted on January 19, 1985.

Amendment of section 4-B

9. In section 4-B of the principal Act,—

(a) in sub-section (2), in the Explanation, in clause (a), after the words “notified goods for sale”, the words “and, in the case of new units the date of starting production whereof falls on or after October 1, 1982, the consumable stores and sub-assemblies required for use in such manufacture” shall be inserted and be deemed to have been inserted on January 29, 1985;

(b) in sub-section (4), in clause (i), after sub-clause (b), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

“(bb) has failed to pay any tax, penalty or other dues payable under this Act within a period of three months from the date such tax, penalty or other dues became payable; or”

Amendment of section 8

10. In section 8 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1-B), the following Explanation shall be inserted at the end, namely :—

“Explanation—For the purposes of sub-section (1-A) and this sub-section, the tax assessed shall be deemed to include the amount payable under section 3-B.”;

(b) in sub-section (1-C), for the words and figures “sub-sections (1) and (2)”, the words and figures “sub-sections (1), (1-B) and (2)” shall be substituted.

Amendment of section 8-A

11. In section 8-A of the principal Act, in sub-section (1-B), for the words “or for any other sufficient reason”, the words “or for his failure to pay the tax, penalty or other dues within three months of the date such tax, penalty or other dues became payable or for any other sufficient reason” shall be substituted.

Amendment of section 8-C

12. In section 8-C of the principal Act,—

(a) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely :—

“(3-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) or sub-section (3), the Commissioner of Sales Tax may, in respect of any goods notified by the State Government in this behalf, by a general order in writing, direct that a cash security of such amount as may be specified in such order shall be required to be furnished by a dealer or person requiring any of the forms prescribed under this Act.”

(b) in sub-section (4), after the word "dealer" wherever it occurs, the words "or the person concerned" shall be inserted, and after the word and figure "section 8-B" the words and figure "or issuing the forms referred to in clause (b) of sub-section (2)" shall be inserted;

(c) in sub-sections (5), (6) and (8), after the word "dealer" wherever it occurs, the words "or the person concerned" shall be inserted; and

(d) in sub-section (7), after the word and figure "sub-section (2)", the words and figure "or sub-section (3-A)" shall be inserted.

13. In section 10 of the principal Act,—

(a) in sub-section (2), after the word and figure "section 10-B", the words and figures "or by the Commissioner of Sales Tax under sub-section (3) of section 4-A" shall be inserted;

(b) in sub-section (10), in clause (c), after the words "an order passed", the words and figures "under sub-section (3) of section 4-A or a decision given" shall be inserted.

Amendment of section 10

14. In section 29 of the principal Act, in sub-section (2), after the words "from the date of such order", the words "or, as the case may be, the date of receipt of such order of refund by the assessing authority" shall be inserted.

Amendment of section 29

15. In the Schedule to the principal Act,—

(a) after the entries against serial numbers 6 and 26, the following new entries shall respectively be inserted columnwise, namely :—

Amendment of Schedule

In Column I	In Column II
(Serial no.)	(Description of goods)
"6-A	"Art brasswares and utensils made of brass, bronze (Kansa), bell metal (phool) or German silver, and parts thereof"
"26-A	"Dry fruits"

(b) the entry against serial number 44 shall be omitted.

16. (1) In Government notification no. S.T.-4064/X-960(4)-58, dated November 25, 1958, in item 3 of the list therein, for the words "readymade garments", the words "readymade garments, hessian or jute cloth" shall be substituted and be deemed always to have been substituted.

Amendment of Notification

(2) The notification as amended by sub-section (1) shall continue in force until amended or rescinded by the State Government in exercise of its powers under the relevant section of the principal Act, read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904.

17. (1) Notwithstanding any judgment, decree or order of any court or other authority, anything done or any action taken before the commencement of this section, which conforms to the provisions of the principal Act as amended by this Act, shall be deemed to be and always to have been valid and lawful as if the provisions of this Act were in force at all material times.

Validation

(2) Where, before the commencement of this section, any court or authority has, in any proceeding, made any assessment, levy or collection of any tax, or passed any order imposing any penalty or making any other demand under the principal Act, or passed any order modifying, setting aside or quashing (wholly or in part) such assessment, levy, collection, penalty or demand and such assessment or other order becomes, in consequence of the provisions of this Act, inconsistent with the provisions of the principal Act as amended by this Act, then, subject to the provisions of sub-section (3), any party to the proceeding or the Commissioner of Sales Tax may, within six months from the date of such commencement, make an application to such court or authority for a review of the assessment or order, and thereupon such court or authority may review the proceeding and make such order, varying or revising the order previously made, as may be necessary to give effect to the provisions of this Act.

(3) The assessing, appellate or revising authority, as the case may be may, within a period of one year from the commencement of this section or within the period specified in section 22 of the principal Act, whichever expires later, make any rectification in any order passed by it where such rectification becomes necessary in consequence of the amendment of the principal Act by this Act :

Provided that no rectification, which has the effect of enhancing the assessment, penalty or other dues, shall be made unless the authority concerned has given notice to the dealer or the person concerned of his intention to do so and has allowed him a reasonable opportunity of being heard.

Amendment of
section 6 of U.P.
Act no. 33 of
1979

18. In section 6 of the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) Act, 1979, in sub-section (1), for the words "six years", the words "seven years" shall be substituted and be deemed always to have been substituted.

By order,
SHIVADHAR TEWARI,
Vishesh Sachiv.